

हिमाचल प्रदेश सरकार



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष
रूप से सक्षम का सशक्तिकरण

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2022—2023

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) बी के अनुसार)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	विभाग का संगठनात्मक ढांचा, इसके उद्देश्य, क्रियाकलाप एवं कर्तव्य	1—5
2.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	6—9
3.	निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही, पर्यवेक्षकों के चैनल में अपनाए जाने वाली कार्यप्रणाली	10
4.	कार्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानक	10
5.	विभाग व इसके कर्मचारियों के कार्यकलापों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख।	11
6.	अपने नियन्त्रण में कागजातों की श्रेणियों का विवरण/स्टेटमेंट्स	12
7.	जनप्रतिनिधियों/संस्थानों, नीतियों के निर्धारण व कार्यान्वयन बारे किए गए प्रबन्धों की विशेषताएं।	13
8.	बोर्ड, परिषद्	13
9.	जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारियों की डायरेक्ट्री	14—19
10.	जैसा कि विनियमन में प्रावधित किया गया है, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक जिसमें क्षतिपूर्ति सम्मिलित हो।	20—23
11.	प्रत्येक ईकाई को आबंटित बजट, जिसमें योजनाओं की विशेषता, प्रस्तावित व्यय, वितरण की रिपोर्ट आदि दर्शाए गए हों।	24—26
12.	सबसिडी प्रोग्राम के निष्पादन का ढंग जिसमें आबंटित राशि एवं लाभान्वित का विवरण शामिल हो।	27
13.	प्राप्तकर्ताओं की विशेषता परमिट एवं अधिकारिता	27
14.	सूचनाओं का विवरण जो इलैक्ट्रानिक अवस्था में है	27
15.	नागरिकों द्वारा वांछित सुविधाओं जैसे लाईब्रेरी, रीडिंग रूम, यदि जनसाधारण के लिए हो।	27
16.	जन सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम एवं अन्य विशेषता	28
17.	अन्य सूचनाएं जो प्रतिवर्ष निर्धारित/अपडेट की जाएंगी	29—42

विभाग का संगठनात्मक ढांचा, इसके उद्देश्य, क्रियाकलाप एवं कर्तव्य

1.1 निदेशालय का उद्देश्य

निदेशालय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, असहाय, एकल नारी/विधवा/बेसहारा महिला तथा ट्रांसजेण्डर समुदाय का सामाजिक व आर्थिक विकास करके उनका सशक्तिकरण करना एवं कुष्ठ रोगियों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का पुनर्वास करना है। वृद्धों, दिव्यांगों, विधवाओं, एकल नारी, कुष्ठ रोगियों तथा ट्रांसजेण्डर को पेंशन प्रदान कर उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

इस निदेशालय को, अनुसूचित जाति उप-योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के समुदाय के लिए व्यक्तिगत/परिवार लाभार्थी योजनाओं तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करके उनका आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उत्थान कर सामाजिक न्याय दिलाना है, के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग घोषित किया गया है।

- 1.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत निदेशालय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण का संगठनात्मक ढांचा:-

1.3 क्रियाकलाप :

विभाग अपने लक्षित समूहों, अनुसूचित जाति, जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष रूप से सक्षम, वरिष्ठ नागरिक, असहाय, विधवा/बेसहारा महिला, ट्रांसजेन्डर, कुष्ठ रोगियों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाता है और शिक्षा के क्षेत्रों में उन्हें उन्नत करके उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ाकर इन समूहों एवं वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त विभाग को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं कि वो ऐसे कानून जो इन वर्गों की सुरक्षा एवं हितों की रक्षा के दृष्टिगत बनाए जाते हैं, का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत निदेशालय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हि0प्र0 को निम्नलिखित क्षेत्रों-विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु दिए गए हैं :-

1.3.1 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण

(क) राज्य योजनाएं

1. मकान निर्माण हेतु अनुदान
2. अनुवर्ती कार्यक्रम
3. अनु0 जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्प संख्यकों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर उपयोग व समवर्गीय क्रिया कलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना
4. अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार
5. अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को राहत
6. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम की योजनाएं
7. हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं
8. हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं
9. हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
10. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना
11. अनुसूचित जाति उप योजना

(ख) केन्द्रीय योजनाएं

1. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
2. छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण योजना
3. अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना
4. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना
5. डा0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान की योजनाएं
6. स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान योजना
7. अल्प संख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनुशिक्षण एवं सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना
8. अल्प संख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु मैरिट कम मीन्ज़ बेसड छात्रवृत्ति योजना
9. अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
10. अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
11. मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन
12. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

1.3.2 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

(क) राज्य योजनाएं

1. वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. अपंग राहत भत्ता
3. विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन योजना
4. कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता
5. ट्रांसजैण्डर पेंशन योजना

(ख) केन्द्रीय योजनाएं

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

1.3.3 दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं

(क) राज्य योजनाएं

1. दिव्यांगजन हेतु एकीकृत योजना 'असीम' जिस के निम्न घटक हैं:-
 - विकलांगता की रोकथाम, शीघ्र पहचान, जांच व दिव्यांगता पहचान पत्र
 - जागरूकता अभियान
 - विकलांगता विषय बारे अनुसंधान
 - दिव्यांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति
 - दृष्टिहीन व मूक बधिर बच्चों हेतु विशेष स्कूल
 - मानसिक रूप से अविकसित बच्चों/व्यस्कों के पुनर्वास हेतु योजना
 - दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को अनुदान
 - दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राज्य पुरस्कार योजना
 - विवाह अनुदान योजना
 - विकलांगता पुनर्वास केन्द्र
 - दिव्यांगों को रोजगार हेतु योजना
2. दिव्यांगता पहचान पत्र
3. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग लगवाने व खरीदने हेतु सहायता
2. दीन दयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना
3. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय स्रोत केन्द्र
4. दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995, के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपड़ा)
5. जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र
6. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID Card)

1.3.4 वृद्धजनों के कल्याण हेतु योजनाएं

(क) राज्य योजनाएं

1. वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र
2. वृद्धों के लिए एकीकृत योजना

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम
2. अन्नपूर्णा योजना

1.3.5 अन्य कल्याण योजनाएं

(क) राज्य योजनाएं

1. मानसिक बीमारी से स्वस्थ हुए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु हाफ वे होम योजना
2. स्वयं सेवी सस्थाओं को अनुदान योजना
3. सुनिश्चित रोजगार के लिये योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना
4. प्रशासनिक सेवाओं में परीक्षा पूर्व सहायता

(ख) केन्द्रीय योजनाएं

1. मादक द्रव्य तथा नशा निवारण के लिये योजना
2. राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम
3. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
4. तिब्बतियन शरणार्थियों का पुनर्वास

1.3.6 विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय/ राज्य अधिनियम/नियम

1. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955।
2. नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977।
3. अनु० जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित अधिनियम ,2018)।
4. अनु० जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (संशोधित नियम ,2016)।
5. हि० प्र० भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1979।
6. हि० प्र० भिक्षा वृत्ति निवारण नियम, 1980।
7. हि० प्र० माता पिता एवं आश्रित भरण पोषण अधिनियम, 2001।
8. परीवीक्षा अधिनियम ,1958।
9. दिव्यांगजन अधिकार, अधिनियम, 2016।
10. हि०प्र० दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2019।
11. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999।
12. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम ,1992।
13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।
14. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011।

अध्याय-2

अधिकारियों व कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

विभाग के मुख्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं :-

2.1 सरकार के स्तर पर :-

2.1.1 प्रशासनिक सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) :

विभाग के अध्यादेश के अनुसार नीति निर्धारण करना, नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, नियमों एवं निर्देशों का अनुमोदन व उन्हें जारी करना/कार्यान्वित करना, विभाग के प्रभारी मन्त्री को विभाग से सम्बन्धित निम्न प्रकार के मामलों को प्रस्तुत करना :-

- (1) कार्य संचालन के नियमों के अन्तर्गत ऐसे मामले जो मन्त्री परिषद् के समक्ष रखे जाने हैं।
- (2) कार्य नियमों के अन्तर्गत राज्यपाल के समक्ष व नियम 58 के अन्तर्गत मुख्य मन्त्री के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों को प्रस्तुत करना।
- (3) समस्त वैधानिक प्रस्ताव, समस्त नई स्कीमों के प्रस्ताव/कार्यक्रम।
- (4) समस्त विधान सभा मामले।

2.1.2 राज्य आयुक्त विकलांगता के रूप में उन के कार्य निम्न प्रकार से है :-

- (1) स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंधों या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करना, जो इस अधिनियम से असंगत है और आवश्यक सुधारकारी उपायों की सिफारिश करना।
- (2) स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जांच करना जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा।
- (3) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- (4) उन कारकों का पुनर्विलोकन करना जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करना।
- (5) दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्रों में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा।
- (6) दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों पर जागरूकता का संवर्धन करना।
- (7) दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- (8) दिव्यांगजनों के फायदे के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन की निगरानी करना और ऐसे अन्य कार्य को करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाए।

2.1.3 विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/अवर सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0) :

- (1) प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सम्पूर्ण नियन्त्राण तथा प्रशासन के लिये शक्तियां बनाने के लिये प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0) की सहायता करना ।
- (2) प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0) की निर्णय करने व योजनाओं/स्कीमों को बनाने में सहायता करना ।
- (3) समस्त मामलों और स्कीमों को उच्चाधिकारियों के समक्ष यथासम्भव हल व सुझावों के साथ उचित तरीके से प्रस्तुत करना ।
- (4) अधीनस्थ समस्त कर्मचारी, अधिकारी कार्यकर्ताओं के कार्य का प्रभावी परीक्षण करना तथा उन्हें दिशा-निर्देश प्रदान करना ।
- (5) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपी गई जिम्मेवारियों को निभाना, ताकि वे प्रतिदिन के लघु मामलों से ध्यान हटाकर महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने में समय दे सकें ।
- (6) सक्षम अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आदेशों को प्रमाणिकता के साथ जारी करना ।
- (7) सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों, जारी नीतियों एवं कार्यक्रमों हेतु पग उठाने एवं सम्बन्धित एजेंसियों के साथ तालमेल करके उनका कार्यान्वयन करवाना ।

2.2 निदेशालय स्तर पर : —

2.2.1 निदेशक, अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण :

निदेशालय, अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक के कार्यकलाप निम्न प्रकार से हैं :-

- (1) प्रशासनिक विभाग एवं जिला अधिकारियों के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करना ।
- (2) बजट मैनुअल के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष ।
- (3) विभागाध्यक्ष की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना ।
- (4) केन्द्रीय सिविल सर्विसिज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एवं अपील) नियम 1965 एवं सीसीएस (कण्डक्ट-रूलज, 1964 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रेणी III व IV की नियुक्ति, अनुशासनात्मक एवं अपील अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करना ।
- (5) सरकार द्वारा जारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, अधिनियमों, नियमों आदि का अनुश्रवण व कार्यान्वयन करना तथा प्रशासनिक विभाग को तकनीकी सलाह प्रदान करना ।
- (6) जनता एवं सरकार के बीच विशेषतः निश्चितता, मूल्यांकन के लिये कड़ी के रूप में कार्य करना तथा जहां आवश्यक हो, लोकमत को प्रभावित करने व सूचना देने में सहायता करना ।
- (7) विभाग के कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करना ।
- (8) नीतियों/कार्यक्रमों के गलत/अनियमित कार्यान्वयन की छानबीन व सुधार के उपाय करना ।
- (9) नीतियों/कार्यक्रमों से सम्बन्धित अनियमितताओं पर नियंत्रण व सुधार के उपाय/संशोधन हेतु सुझाव देना ।

2.2.2 अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण (प्रशासनिक) :-

- (1) वार्षिक कार्यवाही योजना को तैयार करना एवं प्रगति का नियमित मध्यान्तरों के बाद अनुश्रवण व समीक्षा करना ।
- (2) प्रतिवेदनाओं/विवरणिकाओं की प्रस्तुति/प्राप्ति का प्रबोधन करना एवं चैक करके व छानबीन उपरान्त सम्बन्धित को भेजना ।
- (3) विभाग की स्थापना, बजट, व्यय, स्कीमों योजनाओं आदि से सम्बन्धित आंकड़ों/सूचनाओं का अध्ययन करना ।
- (4) यह सुनिश्चित करना कि विभाग के समस्त अधिनियमों, नियमों, मैनुअल, दिशा-निर्देशों, गार्ड फाईलों का अध्ययन किया गया है ।

- (5) विभाग के विभिन्न कार्यकलापों, स्कीमों, कार्यक्रमों हेतु समस्त विभागों से सामंजस्य करना तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार विभिन्न बैठकों में विभाग का प्रतिनिधित्व करना।
- (6) स्कीमों का अनुश्रवण करना व इनकी प्रगति एवं सुधार हेतु सुझाव देना, नई योजनाएं तैयार करना, उनका विश्लेषण करना आदि।
- (7) अपने अधीनस्थ विभिन्न शाखाओं को विषय आबंधित करना।
- (8) अपने अधीनस्थ स्टाफ को दिशा-निर्देश देना और उनकी कमियों को यदि कोई हों तो अवगत करवाकर सुधारात्मक पग उठाना।
- (9) निदेशालय के स्टाफ को अनुशासित रखना।
- (10) स्टाफ की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- (11) स्टाफ की मुश्किलों को देखना।
- (12) समय-समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुसार शाखाओं का निरीक्षण करके उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (13) एक्स-आफिशियो के तौर पर कार्य करना।
- (14) कार्य दक्षता पर जोर देना व कार्य में देरी को रोकना।
- (15) विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना।
- (16) व्यय के लिए समय-समय पर आवश्यक तरीकों को निश्चित करना।
- (17) निदेशक के सहयोगार्थ निदेशालय की सभी शाखाओं पर नियन्त्रण।

2.2.3 संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (अनु० जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण)(विभागीय) :

- (1) संयुक्त निदेशक (प्रशासनिक) को केन्द्रीय/राज्य प्रायोजित योजनाओं/सामाजिक विधानों व उसके अन्तर्गत नियमों के कार्यान्वयन में सहायता करना।
- (2) विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए व्यवसायिक पुनर्वास योजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
- (3) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना – जैसे स्थानीय स्तर समितियां व राष्ट्रीय न्यास योजना मानसिक तौर पर अस्वस्थ बच्चों व अन्य आश्रमों के अनुश्रवण व कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
- (4) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना जैसे कि आयोगों की रिपोर्ट, सरकारी नौकरियों में आरक्षण व अन्य सम्बन्धित मामलों का कार्यान्वयन।
- (5) विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए राज्य प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- (6) प्रतिवेदनाओं/विवरणिकाओं के प्रस्तुतीकरण व प्राप्ति पर पूर्णतया नियन्त्रण रखना एवं जांच करके सम्बन्धितों को भेजना।
- (7) स्टाफ की उपस्थिति व समय निष्ठा को सुनिश्चित करना।
- (8) निर्धारित दिशा-निर्देशानुसार समय-समय पर शाखाओं का निरीक्षण करना व उच्चाधिकारी को रिपोर्ट भेजना।
- (9) वार्षिक कार्यवाही योजना बनाना एवं नियमित रूप से समय-समय पर उपरोक्त स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करना।
- (10) कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवेदनाओं/विवरणिकाओं के प्रस्तुतीकरण व प्राप्ति का प्रबोधन करना।
- (11) विभाग के समस्त अधिनियमों, नियमों, योजनाओं के निर्देशों का अद्यतन करना।
- (12) विभाग के विभिन्न कार्यकलापों, स्कीमों, कार्यक्रमों के लिए अन्य विभागों से सम्पर्क स्थापित करना व उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार बैठकों में विभाग का प्रतिनिधित्व करना।
- (13) स्कीमों का अनुश्रवण एवं निरीक्षण करना व सुधार बारे साधन एवं तरीके सुझाना, यदि नई स्कीमें हों तो उनके बारे विश्लेषण करना व नवीनता बारे सुझाव देना।

- (14) अपने अधीनस्थ स्टाफ को प्रशिक्षित करना व उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश देना और यदि कोई कमी हो तो उसमें सुधार लाना ।
- (15) क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय/स्कीमों का समय-समय पर निरीक्षण करना ।

2.2.4 उप निदेशक (अनुसूचित जाति उप-योजना) :-

- (1) उच्चाधिकारियों को अनुसूचित जाति उप-योजना, बजट को तैयार करने में सहायता करना, ऐसे विभिन्न केबिनेट स्तर के मन्त्रियों व विभागाध्यक्षों के साथ तालमेल करने में उच्चाधिकारियों की मदद करना जो राज्य में अनुसूचित जाति के लिए कार्य करते हों ।
- (2) अनुसूचित जाति उप-योजना से सम्बन्धित 10 गैर जन-जातीय जिलों में कार्यान्वयन करने वाले विभागों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन करना ।
- (3) अनुसूचित जाति उप-योजना की समीक्षा बैठकों में भाग लेना ।

2.2.5 जिला कल्याण अधिकारी :

- (1) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप वित्तीय शक्तियों सहित नियन्त्रक अधिकारी के तौर पर कार्य करना ।
- (2) विभिन्न सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु/अन्तिम रूप देने/अनुमोदन करने हेतु जिला कल्याण समिति की बैठक आयोजित करना ।
- (3) जिला कल्याण समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों में योग्य लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने वाली प्रयोग की जा रही प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तहसील कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण करना ।
- (4) लाभार्थियों को गुणात्मक लाभ मिलना सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न लघु योजनाओं का निरीक्षण ।
- (5) समय-समय पर ऐसे लाभभोगियों का पुनः निरीक्षण करना, जो अयोग्य हो गए हों, ताकि उनके स्थान पर पात्र लाभार्थियों की प्रतिस्थानी स्वीकृति दी जा सके ।
- (6) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिविर का आयोजन करना, ताकि उन्हें पूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सकें ।
- (7) विभाग की विभिन्न स्कीमों एवं अधिनियमों आदि के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों व समाज के कमजोर वर्गों को सहयोग एवं लाभ सुनिश्चित करना ।

2.2.6 तहसील कल्याण अधिकारी :-

- (1) विभिन्न सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु/अन्तिम रूप देने/अनुमोदन करने हेतु जिला कल्याण अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करना ।
- (2) जिला कल्याण समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों में योग्य लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की प्रक्रिया सुनिश्चित करना ।
- (3) लाभार्थियों को गुणात्मक लाभ मिलना, सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न लघु योजनाओं का निरीक्षण ।
- (4) समय-समय पर ऐसे लाभभोगियों का पुनः निरीक्षण करना, जो अयोग्य हो गए हों, ताकि उनके स्थान पर पात्र लाभार्थियों को प्रतिस्थानी स्वीकृति दी जा सके ।
- (5) अक्षम व्यक्तियों के लिए शिविर का आयोजन करना ताकि उन्हें पूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सकें ।
- (6) विभाग की विभिन्न स्कीमों एवं अधिनियमों आदि के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों व समाज के कमजोर वर्गों को सहयोग एवं लाभ सुनिश्चित करना ।

अध्याय-3

निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही, पर्यवेक्षकों के चैनल में अपनाए जाने वाली कार्यप्रणाली

सभी प्रशासनिक नीतिगत मामलों को निर्णय हेतु निदेशक, अनु० जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हि०प्र० द्वारा प्रशासनिक विभाग को भेजा जाता है। निदेशालय में निदेशक द्वारा विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तथा निदेशक की सहायता अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासनिक), संयुक्त निदेशक (अनु० जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण), उप निदेशक (अनु० जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण), उप निदेशक (एस.सी.एस.पी.), सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) करते हैं।

निदेशक, अनु० जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि०प्र० द्वारा विभिन्न अधिकारियों को उनकी निपुणता के अनुसार कार्य सौंपा जाता है तथा वे अपने कार्य/नियमित कार्य के लिए निदेशक (निदेशक, अनु० जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि०प्र०) के प्रति उत्तरदायी हैं। अन्तिम निर्णय के लिए नस्तियां निदेशक (निदेशक, अनु० जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि०प्र०) को प्रस्तुत की जाती हैं।

अध्याय-4

कार्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानक

विभाग द्वारा समस्त वित्तीय एवं प्रशासकीय मामलों को निपटाने हेतु, एच.पी.एफ.आर. व अन्य सरकारी नियमों के प्रावधानों का अनुसरण किया जाता है।

विभाग व इसके कर्मचारियों के कार्यकलापों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख

विभाग द्वारा अपने कार्यकलापों हेतु विभिन्न, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों का अनुकरण किया जाता है, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. सी.सी.एस.लीव रूलज़, 1972
2. सी.सी.एस.एण्ड सी.सी.ए.रूलज़ / कंडक्ट रूलज़
3. एच.पी.एफ.आर.रूलज़
4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस.आर.रूलज़
5. मैडीकल अटैंडेंस रूलज़
6. जनरल फाइनैस रूलज़
7. एच.बी.ए.रूलज़
8. डेलीगेशन आफ फाइनैशियल पावर रूलज़
9. लीव ट्रेवल कनसैशन रूलज़
10. बजट मैनुअल, ऑफिस मैनुअल, विजिलेंस मैनुअल,
11. स्टोर परचेज़ रूलज़
12. पैन्शन रूलज़
13. जी.पी.एफ.रूलज़
14. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के नियम :

1. हि0प्र0 गृह निर्माण अनुदान नियम, 1975
2. हि0प्र0 अनुवर्ती कार्यक्रम नियम, 1974
3. हि0प्र0 अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार नियम, 1991
4. हि0प्र0 अनु0जाति/जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना नियम, 2005
5. अनुसूचित जाति/जन-जाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (संशोधित नियम, 2016)
6. नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977
7. हि0प्र0 सामाजिक सुरक्षा (पैन्शन/भत्ता) नियम, 2010
8. विकलांगों हेतु एकीकृत योजना नियम, 2008
9. हि0प्र0 विकलांग गृह सुन्दरनगर प्रवेश नियम, 1993
10. स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान नियम, 1981
11. हिमाचल प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2019

अपने नियन्त्रण में कागजातों की श्रेणियों का विवरण/स्टेटमेंट्स

विभाग के पास साधारणतया निम्न प्रकार के कागजातों की नस्तियां निदेशालय स्तर पर होती हैं :-

6.1 निदेशालय :

- (1) राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित कल्याण योजनाओं से सम्बन्धित नियम/निर्देश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/दिव्यांगजन/विधवाएँ/वृद्ध/कुष्ठ रोगी/ट्रांसजैण्डर/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ।
- (2) उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बजट/व्यय/उपलब्धियां ।
- (3) समय-समय पर राज्य स्तर पर सरकार द्वारा बनाई गए विभिन्न बोर्डों/बैठकों की कार्यवाही ।

6.2 जिला कल्याण अधिकारी :

1. राज्य एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के नियम/दिशा निर्देश जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/दिव्यांगजन/विधवाएँ/वृद्ध/कुष्ठ रोगी/ट्रांसजैण्डर/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से सम्बन्धित है ।
2. उपरोक्त योजनाओं का बजट/व्यय/उपलब्धियां ।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/दिव्यांगजन/विधवाएँ/वृद्ध/कुष्ठ रोगी/ट्रांसजैण्डर/सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजनाओं से सम्बन्धित/राशि के वितरण में सहायता एवं अभिलेख ।
4. जिला कल्याण अधिकारियों की स्थापना से सम्बन्धित अभिलेख ।
5. कल्याण योजनाओं/अधिनियमों के अन्तर्गत बनाई गई विभिन्न कल्याण समितियों की बैठक की कार्यवाही ।
6. विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र/अस्वीकृत/रद्द प्रार्थना पत्रों को रद्द करने के कारणों सहित अभिलेख ।
7. विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत मामलों का अभिलेख ।
8. राज्य सरकार द्वारा जिन स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है, से सम्बन्धित अभिलेख ।

6.3 तहसील कल्याण अधिकारी :

1. समस्त राज्य एवं केन्द्रीय प्रायोजित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग / अल्पसंख्यक/वृद्ध/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से सम्बन्धित नियम/दिशा निर्देश ।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/दिव्यांगजन/विधवाएँ/वृद्ध/कुष्ठ रोगी/ट्रांसजैण्डर/सामाजिक सुरक्षा पेंशन की समस्त योजनाओं के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख ।
3. विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र/अस्वीकृत/रद्द प्रार्थना पत्रों को रद्द करने के कारणों सहित अभिलेख ।
4. विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत मामलों का अभिलेख ।

जन प्रतिनिधियों/संस्थानों, नीतियों के निर्धारण व कार्यान्वयन बारे किए गए प्रबन्धों की विशेषताएं

विभाग को राज्य विधान सभा की विभिन्न समितियों द्वारा विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित दिशा-निर्देश समय-समय पर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर, जैसे जिला एवं खण्ड स्तर पर जन शिकायतों बारे विचार-विमर्श किया जाता है तथा उन्हें कार्यक्रमों की प्लानिंग, निष्पादन, अनुश्रवण में सहायता दी जाती है।

अध्याय-8

बोर्ड, परिषद्

विभिन्न वर्गों के कल्याण हेतु गठित बोर्ड:

1. हि0प्र0 लबाणा कल्याण बोर्ड
2. हि0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड
3. हि0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड
4. हि0प्र0 कबीरपंथी कल्याण बोर्ड
5. हि0प्र0 गोरखा कल्याण बोर्ड
6. हि0प्र0 अनु0 जाति कल्याण बोर्ड
7. विकलांग जन हेतु कल्याण बोर्ड
8. श्री गुरु रविदास कल्याण बोर्ड
9. हिमाचल प्रदेश विश्वकर्मा समाज कल्याण बोर्ड
10. खेवट पंथ, "खेवट/दरेई" समुदाय कल्याण बोर्ड
11. कोली कल्याण बोर्ड
12. वाल्मीकि समाज कल्याण बोर्ड
13. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गठित राज्य सलाहकार बोर्ड

अध्याय-9

जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारियों की निर्देशिका

जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारियों की डायरेक्ट्री निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	(अ) जन सूचना अधिकारी का नाम (पीआईओ) (ब) सार्वजनिक लोक सूचना अधिकारी सहायक अधिकारी का नाम (एपीआईओ)	पदनाम	कार्यालय का पूरा पता	कार्यालय का दूरभाष	ई-मेल पता
9.1 निदेशालय स्तर:					
1.	श्री नीरज कुमार गुप्ता, अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश, एस० डी० ए० कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नं० 33 शिमला-09	0177-2620033	social-hp@nic.in
2.	श्रीमती रुषा शर्मा, जन सूचना अधिकारी (पीआईओ)	(अधीक्षक श्रेणी-1)	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश, एस० डी० ए० कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नं० 33 शिमला-09	0177-2622043	social-hp@nic.in

9.2 जिला स्तर पर :-

क्र० सं०	जन सूचना अधिकारी (पीआईओ)	कार्यालय का पूरा पता	कार्यालय का दूरभाष नम्बर	ई-मेल पता	नियन्त्राणाधीन क्षेत्राधिकार/ ईकाइयां जिसके तहत प्रार्थी को सूचना दी जानी है।
1.	जिला कल्याण अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा।	01899-223132	dwo.kangra@hp.gov.in	कांगड़ा

2.	जिला कल्याण अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी मण्डी ।	01905-222196	dwo.mandi@hp.gov.in	मण्डी
3.	जिला कल्याण अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी शिमला ।	0177-2657026	dwo.shimla@hp.gov.in	शिमला
4.	जिला कल्याण अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी सोलन ।	01792-223742	dwo.solan@hp.gov.in	सोलन
5.	जिला कल्याण अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी चम्बा ।	01899-222295	dwo.chamba@hp.gov.in	चम्बा
6.	जिला कल्याण अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी हमीरपुर ।	01972-222379	dwo.hamirpur@hp.gov.in	हमीरपुर
7.	जिला कल्याण अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी सिरमौर ।	01702-222374	dwo.sirmour@hp.gov.in	सिरमौर
8.	जिला कल्याण अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर ।	01978-222204	dwo.bilaspur@hp.gov.in	बिलासपुर
9.	जिला कल्याण अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी ऊना ।	01975-226056	dwo.una@hp.gov.in	ऊना
10.	जिला कल्याण अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू ।	01902-222281	dwo.kullu@hp.gov.in	कुल्लू
11.	जिला कल्याण अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी किन्नौर	0178-222049	dwo.kinnaur@hp.gov.in	किन्नौर

9.3 तहसील स्तर :

क्र० सं०	जन सूचना अधिकारी (पीआईओ)	जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) कार्यालय का पता	जिला का नाम	कार्यालय का दूरभाष नम्बर
1	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, जुब्बल	शिमला	01781-252011
2	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, शिमला (ग्रामीण)	शिमला	0177-2815501
3	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, रामपुर	शिमला	01782-234237
4	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, रोहडू	शिमला	01781-240042
5	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, डोडरा क्वार	शिमला	—
6	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, चिड़गांव	शिमला	—
7	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, कुमारसैन	शिमला	01782-241333
8	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, शिमला (शहरी)	शिमला	0177-2812526
9	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, कोटखाई	शिमला	01783-255360

10	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, सुन्नी	शिमला	0177-2786760
11	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, चौपाल	शिमला	01783-260775
12	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, ठियोग	शिमला	01783-255360
13	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, ननखड़ी	शिमला	01782-225638
14	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, पौंटा साहिब	सिरमौर	01704-222851
15	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, शिलाई	सिरमौर	01704-278532
16	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, नाहन	सिरमौर	01702-222474
17	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, पच्छाद	सिरमौर	01799-236428
18	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, राजगढ़	सिरमौर	01799-220033
19	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, संगड़ाह	सिरमौर	01702-248024
20	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, ज्वाली	कांगड़ा	01893-264025
21	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, नूरपुर	कांगड़ा	01893-220710
22	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, खुडियां	कांगड़ा	01970-272055
23	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, डाडासिबा	कांगड़ा	01970-289002
24	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, धर्मशाला	कांगड़ा	01892-223132
25	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, पालमपुर	कांगड़ा	01894-230155
26	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, बैजनाथ	कांगड़ा	01894-262080
27	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, इन्दौरा	कांगड़ा	01893-241020
28	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, जयसिंहपुर	कांगड़ा	01894-229029
29	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, कांगड़ा	कांगड़ा	01892-262200
30	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, जसवां कोटला	कांगड़ा	01970-253611
31	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, फतेहपुर	कांगड़ा	01893-256150
32	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, नगरोटा बगवां	कांगड़ा	01892-253132

33	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, शाहपुर	कांगड़ा	01892—295345
34	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, बरोह	कांगड़ा	01892—259300
35	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, रकड़	कांगड़ा	01970—279465
36	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, ज्वालामुखी	कांगड़ा	01970—223132
37	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, देहरा	कांगड़ा	01970—234944
38	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, सुजानपुर	हमीरपुर	01972—272014
39	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, हमीरपुर	हमीरपुर	01972—225379
40	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, नदौन	हमीरपुर	01972—232106
41	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, बड़सर	हमीरपुर	01972—288069
42	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, भोरंज	हमीरपुर	01972—266566
43	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, हरोली	ऊना	01975—284100
44	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, अम्ब	ऊना	01976—262444
45	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, बंगाणा	ऊना	01975—262033
46	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, ऊना	ऊना	01975—223019
47	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, तीसा (चुराह)	चम्बा	01896—227072
48	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, सलूनी	चम्बा	01899—233031
49	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, चम्बा	चम्बा	01899—220095
50	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, पांगी	चम्बा	—
51	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, चुवाड़ी (भटियात)	चम्बा	01899—292432
52	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, भरमौर	चम्बा	—
53	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, डलहौजी	चम्बा	01899—292051
54	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, सरकाघाट	मण्डी	01905—231300
55	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, बलद्वाड़ा	मण्डी	01905—258001

56	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, धर्मपुर	मण्डी	01905-272079
57	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, मण्डी सदर	मण्डी	01905-224914
58	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, थुनाग	मण्डी	01907-257517
59	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, जोगिन्द्रनगर	मण्डी	01908-222600
60	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, पधर	मण्डी	01908-250101
61	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, सुन्दरनगर	मण्डी	01907-266192
62	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, लड़भड़ोल	मण्डी	01908-260666
63	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, गोहर	मण्डी	01907-250601
64	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, करसोग	मण्डी	01907-222081
65	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, बल्ह स्थित नेरचौक	मण्डी	01905-243417
66	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, बालीचौकी	मण्डी	01905-229110
67	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, बिलासपुर	बिलासपुर	—
68	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, घुमारवीं	बिलासपुर	01978-255230
69	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, झण्डूता	बिलासपुर	01978-272039
70	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, श्री नैना देवी जी	बिलासपुर	01978-284701
71	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, कल्पा	किन्नौर	—
72	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, निचार	किन्नौर	—
73	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, पूह	किन्नौर	—
74	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, सांगला	किन्नौर	—
75	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, मूरंग	किन्नौर	—
76	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, काजा	लाहौल स्पिति	—
77	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, केलांग	लाहौल स्पिति	01900-202993
78	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, सोलन	सोलन	01792-225142

79	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, कसौली	सोलन	01792-272267
80	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, अर्की	सोलन	01796-220087
81	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, कंडाघाट	सोलन	01792-256030
82	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, नालागढ़	सोलन	01795-222026
83	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, बद्दी	सोलन	01795-244366
84	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, निरमण्ड	कुल्लू	01904-255066
85	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, बंजार	कुल्लू	01903-221325
86	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, कुल्लू	कुल्लू	01902-225026
87	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, आनी	कुल्लू	01904-253899
88	तहसील कल्याण अधिकारी	तहसील कल्याण अधिकारी, मनाली	कुल्लू	01902-254003

जैसा कि विनियमन में प्रावधित किया गया है अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक जिसमें क्षतिपूर्ति सम्मिलित हो ।

विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकार द्वारा समय-2 पर प्रदत्त नियमानुसार साधारण स्केल प्राप्त करते हैं:

10.1 निदेशालय में स्वीकृत पदों के नाम व संख्या :-

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान (रुपये)
1	2	3	4
1.	निदेशक	01	1,23,100-2,09,600
2.	अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक	01	83600 Level-23
3.	संयुक्त निदेशक (कल्याण)	01	67400 Level-21
4.	उप-निदेशक (अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम)	01	67400 Level-21
5.	उप-निदेशक (कल्याण)	01	56100 Level-18
6.	अधीक्षक ग्रेड- I	01	47800-Level-16
7.	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	01	48700 Level-16
8.	जिला कल्याण अधिकारी (मुख्यालय)	01	48200 Level-15
9.	जिला कल्याण अधिकारी (दिव्यांग कोष्ठ)	01	48200 Level-15
10.	तहसील कल्याण अधिकारी(दिव्यांग कोष्ठ)	03	43000 Level-12
11.	अनुसन्धान अधिकारी (अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम)	03	48700 Level-16
12.	अधीक्षक ग्रेड- II	02	43000 Level-12
13.	निजी सहायक	01	48200 Level-15
14.	अनुभाग अधिकारी	01	48700 Level-16
15.	विधि अधिकारी	01	43000 Level-12
16.	वरिष्ठ सहायक	11	38500 Level-11
17.	सांख्यिकीय सहायक	02	38500 Level-11
18.	वरिष्ठ आशुलिपिक (अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम)	01	38500 Level-11
19.	सहायक अनुसंधान अधिकारी (अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम)	01	43000 Level-12
20.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	43000 Level-12
21.	सांख्यिकीय सहायक (अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम)	02	38500 Level-11
22.	कनिष्ठ आशुलिपिक (अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम)	01	35600 Level-9

23.	टंकण आशुलिपिक	03	21300 Level-5
24.	लिपिक/कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी)	09	20200 Level-3/20600 Level-4
25.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी)(अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम)	02	20600 Level-4
26.	चालक	03	21300 Level-5
27.	दफ्तरी	01	18400 Level-2
28.	यन्त्र चालक	01	18400 Level-2
29.	सेवादार	04	18000 Level-1
30.	सफाईकर्ता	01	18000 Level-1
	कुल	63	

10.2 जिला/तहसील स्तर पर वेतन विवरण :

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान (रुपये)
1.	जिला कल्याण अधिकारी	11	48200 Level-15
2.	अधीक्षक ग्रेड-II	11	43000 Level-12
3.	तहसील कल्याण अधिकारी	88	43000 Level-12
4.	सहायक अनुसंधान अधिकारी (अनुसूचित जाति उप योजना)	03	43000 Level-12
5.	सांख्यिकीय सहायक (अनुसूचित जाति उप योजना)	12	38500 Level-11
6.	वरिष्ठ सहायक	12	38500 Level-11
7.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	12	35600 Level-9
8.	लिपिक/कनिष्ठ कार्यालय सहायक (I.T.)	128	20200 Level-3/20600 Level-4
9.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (I.T.) (अनुसूचित जाति उप योजना)	06	20600 Level-4
10.	सेवादार	19	18000 Level-1
11.	चौकीदार	02	18000 Level-1
	जोड	304	

10.3 जिला/तहसील स्तर पर स्वीकृत पदों की संख्या :-

10.3.1 विशेष योग्यता वाले बच्चों का स्कूल सुन्दरनगर में स्टाफ की स्थिति :-

क्र० स०	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान
1	प्रधानाचार्य (Principal)	01	67400 Level-21
2	विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (हिन्दी) (दृष्टिबाधित) (Special PGT Hindi, VI)	01	43000 Level-12
3	विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (हिन्दी) (श्रवण बाधित) (Special PGT Hindi, HI)	01	43000 Level-12
4	विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (अंग्रेजी) (दृष्टिबाधित) (Special PGT English, VI)	01	43000 Level-12
5	विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (अंग्रेजी) (श्रवण बाधित) (Special PGT English, HI)	01	43000 Level-12
6	विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (इतिहास) (दृष्टिबाधित) (Special PGT History, VI)	01	43000 Level-12
7	विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक(इतिहास)(श्रवण बाधित) (Special PGT History, HI)	01	43000 Level-12
8	विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (गृह विज्ञान) (दृष्टिबाधित) (Special PGT Home Science, VI)	01	43000 Level-12
9	विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (गृह विज्ञान) (दृष्टिबाधित) (Special PGT Home Science, HI)	01	43000 Level-12
10	विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (संगीत स्वर) (दृष्टिबाधित) (Special PGT Music Vocal, VI)	01	43000 Level-12
11	विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (सूचना प्रौद्योगिकी) (श्रवण बाधित) (Special PGT IT, HI)	01	43000 Level-12
12	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण बाधित)(TGT, HI)	03	38100 Level-10
13	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (दृष्टि बाधित) (Special PGT Home Science, VI)	01	38100 Level-10
14	वाक् चिकित्सक (Speech Therapist)	02	35600 Level-09
15	ब्रेल (लिपि) अध्यापक (Braille Teacher)	03	25600 Level-06
16	वाणी दोष अध्यापक (Speech Impairment Teacher)	01	25600 Level-06
17	हस्तकला अध्यापक (Craft Teacher)	02	25600 Level-06
18	व्यावसायिक प्रशिक्षक (Vocational Instructor)	01	29700 Level-08
19	जूनियर बेसिक अध्यापक (श्रवण बाधित) (JBT, HI)	02	29700 Level-08
20	जूनियर बेसिक अध्यापक (दृष्टि बाधित) (JBT, VI)	02	29700 Level-08
21	संगीत अध्यापक (Music Teacher)	01	29700 Level-08
22	विशेष शिक्षक (Special Teacher)	01	29700 Level-08
23	सहायक अधीक्षक गृह (Assistant Suprintendent, Home)	01	35600 Level-09

24	लिपिक (Clerk)	01	20200 Level-03
25	सेवादर (Peon)	02	18000 Level-01
26	आया (Aya)	03	18000 Level-01
27	पाचक (Cook)	01	18000 Level-01
28	चौकीदार (Chowkidar)	01	18000 Level-01
29	सफाईकर्ता (Sweeper)	01	18000 Level-01
	जोड़	40	

10.3.2 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का संस्थान, हीरानगर, शिमला
मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के संस्थान, हीरानगर, शिमला में स्टाफ की स्थिति:-

क्र० सं०	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान
1	प्रधानाचार्य (Principal)	01	67400 Level-21
2	विशेष शिक्षक (Speech Educator)	10	35600 Level-09
3	वाक् चिकित्सक (Speech Therapist)	01	35600 Level-09
4	मनोविज्ञानी (Psychologist)	01	43000 Level-12
5	व्यावसायिक चिकित्सक (Occupational Therapist)	02	38100 Level-10
6	चिकित्सक (दौरे के आधार पर) (Doctor, on visit basis)	01	1500/- Per month (4 visit in a month)
7	प्लेसमेंट अधिकारी (Placement Officer)	01	43000 Level-12
8	व्यावसायिक प्रशिक्षक (Vocational Instructor)	01	35600 Level-09
9	लेखाकार-सह-लिपिक (Accountant cum Clerk)	01	20200 Level-03
10	सेवादर (Peon)	02	18000 Level-01
11	वार्डन (Warden)	01	28900 Level-07
12	शारीरिक प्रशिक्षक(Physical Instructor) (अंशकालिक आधार पर);Part Time basis)	01	1000/- per visit (4 visit in a month)
13	पालक मां की देखभाल (Foster Mother Care)	05	18000 Level-01
14	पाचक (Cook)	02	18000 Level-01
15	सहायक (Helper)	01	18000 Level-01
16	सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)	02	18000 Level-01
17	सफाईकर्ता (Sweeper)	02	18000 Level-01
	कुल	35	
कुल जोड़ (10.1 + 10.2 + 10.3.1 + 10.3.2) = 63 + 304 + 40 + 35 =442			

प्रत्येक ईकाई को आबंटित बजट जिसमें योजनाओं की विशेषता, प्रस्तावित व्यय, वितरण की रिपोर्ट आदि दर्शाए गए हों

विभाग द्वारा विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना एवं गैर- योजना बजट का आवंटन निम्न अनुसार किया जाता है:-

11.1 प्रस्तावित परिव्यय एवं वार्षिक योजना वर्ष 2022-23 के लिए:-

क्र० सं०	मुख्य/लघु विकास शीर्ष	व्यय: वर्ष 2022-23 (लाखों में)
1.	प्रशासनिक व्यय (वेतन इत्यादि)	2725.53
2.	अनु० जाति/ज० जा०/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	9664.20
3.	कॉर्पोरेशन हेतु इक्विटी अंशदान	125.00
4.	समाज कल्याण	114078.03
5. (1+4)	कुल	126592.76

11.2 वर्ष 2022-23 हेतु योजनावार बजट, व्यय, लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति का विवरण (बजट एवं व्यय लाखों में) :-

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम	बजट प्रावधान	व्यय	लक्ष्य प्राप्ति	विवरण
1	अनुवर्ती कार्यक्रम (आर्थिक बेहतरी हेतु कार्यक्रम)	71.50	71.472	3976	—
2	अन्तर्जातीय विवाह	305.00	305.00	715 दम्पती	—
3	स्वर्ण जयंती आश्रय योजना	7705.50	7705.50	4529	—
4	कम्प्यूटर एप्लीकेशन व समवर्गी क्रियाकलापों में दक्षता।	383.87	382.97	3325	—
5	अत्याचार से पीड़ित अनु० जाति/ अनु० जनजाति के व्यक्तियों को राहत।	245.06	245.04	415	—
6	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955 को लागू करना।	12.00	10.00	—	—
7	छात्रावास अनु०जा०/अन्य पिछड़े वर्ग।	0.00	0.00	—	—
8	अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम।	0.00	0.00	—	—
9	पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम/अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम।	125.00	125.00	—	—
10	अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम।	400.00	400.00	—	—

1	2	3	4	5	6
11	मानसिक रूप से बीमार ठीक हुए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु योजना	70.88	70.87		
12	मानसिक रूप से अविकसित बच्चों/व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु योजना— गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान	132.67	121.82457	—	—
13	विशेष योग्यता वाले बच्चों का संस्थान सुन्दरनगर	180.06	179.69	—	—
14	विकलांग बच्चों हेतु छात्रवृत्ति	163.21	163.10	1345	—
15	प्रचार अभियान	0.00	0.00	—	—
16	विकलांगों हेतु विवाह अनुदान	74.75	63.08	206	
17	विकलांगों हेतु पुरस्कार योजना	0.00	0.00	—	—
18	विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल।	84.80	84.77949	—	—
19	अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम।	12.00	11.46960	2 संस्थान	—
20	दिव्यांगता की पहचान व रोकथाम	4.40	4.30	—	—
21	दिव्यांगता हेतु जागरूकता	0.00	0.00	—	—
22	उत्सव भत्ता	6.91	6.905	—	—
23	(1) कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास सहायता।	151.71	151.71	945	—
	(2) विधवा पेंशन/परित्यक्त पेंशन	18243.41	18243.41	109077	—
	(3) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	4122.84	4122.84	100772	—
	(4) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	918.09	918.09	24481	—
	(5) वृद्धावस्था पेंशन	78101.66	78101.66	423260	—
	(6) अपंग राहत भत्ता	11326.68	11326.68	69374	—
	(7) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	45.93	45.93	1179	—
	(8) ट्रांसजेंडर पेंशन	1.18	1.17	10	
	योग 19 (1 से 8) ..	112911.50	112911.50	729088	—
24	स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान।	174.16	174.15	—	—
25	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	314.00	314.00	1235	—
26	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना	0.00	0.00	—	—

27.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	10.00	10.00	—	—
28.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	—	—
29	हि0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण	15.00	15.00	—	—
30	सुगम्य भारत अभियान / सिपड़ा	0.00	0.00	—	—
31	मादक द्रव्य के सेवन की रोकथाम हेतु योजना	45.00	45.00	—	—
32	विभागीय भवन निर्माण	719.34	519.34	—	—
33	सिविल सेवाओं की कोचिंग हेतु सहायता	5.00	4.80	16	
34	कल्याण बोर्ड	8.97	8.69	—	—
35	प्रधानमंत्री अनु0जाति अभ्युदय योजना	1964.00	0.00	—	—
36	मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवासीय संस्थान	25.00	25.00	—	—
37	हि0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	139.63	139.61	—	—
38	हि0प्र0 राज्य अनुसूचित जाति आयोग	32.93	32.90	—	—

अध्याय—12

सब्सिडी प्रोग्राम के निष्पादन का ढंग जिसमें आबंटित राशि एवं लाभान्वित का विवरण शामिल हो

यह सूचना वैबसाईट <http://www.esomsa.hp.gov.in> पर उपलब्ध है।

अध्याय—13

प्राप्तकर्ताओं की विशेषता परमिट एवं अधिकारिता

लागू नहीं होता है।

अध्याय—14

सूचनाओं का विवरण जो इलैक्ट्रॉनिक अवस्था में है

यह सूचना वैबसाईट <http://www.esomsa.hp.gov.in> पर उपलब्ध है।

अध्याय—15

नागरिकों द्वारा वांछित सुविधाओं जैसे लाईब्रेरी, रीडिंग रूम यदि जनसाधारण के लिए हो

निदेशालय, जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय, तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में समस्त योजनाओं के दिशा-निर्देश उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विभाग की वैबसाईट में भी सूचना उपलब्ध है। परन्तु लाईब्रेरी, रीडिंग रूम उपलब्ध नहीं है।

जन सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम एवं अन्य विशेषता

जन सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम एवं अन्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं :-

पद	कार्यालय का पूर्ण पता	कार्यालय दूरभाष संख्या	अधिकार क्षेत्र
निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण	निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0, एस. डी. ए. कम्पलैक्स, ब्लॉक नं0-33 शिमला-9.	2622041	अपील अधिकारी
विभागीय स्तर पर राज्य (मुख्यालय) स्तरीय सूचना अधिकारी			
1. अति0 निदेशक/संयुक्त निदेशक (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण)।	निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0, एस. डी. ए. कम्पलैक्स, ब्लॉक नं0-33 शिमला-9.	2620033	निदेशालय से सम्बन्धित समस्त मामलों के लिए।
2. उप-निदेशक (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण)।	निदेशालय (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण) हि0 प्र0, एस. डी. ए. कम्पलैक्स, ब्लॉक नं0-33 शिमला-9.	2623006	निदेशालय से सम्बन्धित समस्त मामलों के लिए।
3. उप निदेशक (अनुसूचित जाति उप योजना)	निदेशालय (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण) हि0 प्र0, एस. डी. ए. कम्पलैक्स, ब्लॉक नं0-33 शिमला-9.	2620406	निदेशालय/अनुसूचित जाति उप योजना से सम्बन्धित समस्त मामलों के लिए।

अन्य सूचनाएं जो प्रतिवर्ष निर्धारित/अपडेट की जाएंगी

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण का कल्याण :-

वर्ष 2022-2023 में विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं संचालित की गई तथा इनकी सूचना समय-समय पर अपडेट की जाती है:-

17.1 अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (Scheduled Caste Development Programme)

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन मार्च, 1980 से किया जा रहा है तथा वर्ष 2002-03 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इस उप-योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग घोषित किया गया है। वर्ष 2005 से अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का पूर्ण नियंत्रण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंपा गया है जिसके तहत निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण को अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले विभिन्न विभागों का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। इस विकास कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिये सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का पूर्ण बजट एकल मांग संख्या 32 में आबंटित किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के समुदाय के लिए व्यक्तिगत/परिवार लाभार्थी योजनाओं तथा आधारभूत विकासात्मक योजनाओं का विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वयन करके उनका आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान करके सामाजिक न्याय दिलाना है।

अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये राज्य योजना का 25.19 प्रतिशत परिव्यय आबंटित किया जा रहा है जो राज्य जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुरूप है। जिनमें मुख्यतः लोक निर्माण, कृषि, उद्यान, पशुपालन, वन, सहकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जल शक्ति, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, बाल एवं महिला कल्याण, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण इत्यादि सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त ऐसे गांवों, जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या इससे अधिक है, तथा 90 व्यक्ति या इससे अधिक है, के विकास के लिए आधारभूत विकासात्मक योजनाएं जैसे पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण, ग्रामीण सड़क निर्माण, बाढ़ नियंत्रण एवं भू-संरक्षण तथा लघु सिंचाई योजनाओं इत्यादि का कार्यान्वयन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत मु0 2400.12 करोड़ रु0 के बजट प्रावधान के विरुद्ध मु0 2034.22 करोड़ रु0 विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये व्यय किया गया।

17.2 अनु0 जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक बेहतरी हेतु कार्यक्रम

17.2.1 राज्य योजनाएं

(1) अनुवर्ती कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50,000/— रुपये से कम हो तथा जिन्होंने आई0टी0आई0 या किसी अन्य प्रशिक्षण केन्द्र से बढई, लोहार, बुनाई, चमड़ा, सिलाई कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से, 1300/—रुपये की कीमत के औजार व सिलाई मशीन खरीदने हेतु 1800/—रु0 प्रति लाभार्थी को उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 71.50 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 71.46 लाख रु0 खर्च कर 3976 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

(2) अंतर्जातीय विवाह

समाज में छूआछूत को दूर करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सामान्य जाति के युवक/युवती के अनुसूचित जाति की युवती/युवक से विवाह करने पर 50,000/—रु0 की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 305.50 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 305.50 लाख रु0 खर्च कर 629 दम्पतियों को लाभान्वित किया गया।

(3) स्वर्ण जयंती आश्रय योजना हेतु अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय 35,000/— रु0 से कम हो, को मकान निर्माण हेतु 1,50,000/—रु0 दिए जाते हैं। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 7005.50 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 7705.50 लाख रुपये व्यय कर कुल 4529 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

(4) अनुसूचित जाति, जन-जाति /अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर एप्लिकेशन व समवर्गीय क्रिया-कलापों में प्रशिक्षण एवम् दक्षता योजना

इस योजना के अन्तर्गत "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एकल नारी, विधवा, दिव्यांग जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो जिनकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो तथा बी0पी0एल0 परिवारों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों या जिनकी वार्षिक आय 2,00,000/— रु0 से कम हो, प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हों, से संबंधित अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर व समवर्गीय क्रियाकलापों के प्रशिक्षण किया जाता है ताकि वे सरकारी/निजी क्षेत्र में नौकरी हेतु सक्षम बन सकें। योजना के अन्तर्गत 1350/— रुपये प्रतिमाह प्रशिक्षण फीस(दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये 1500/— रुपये) तथा प्रशिक्षण के दौरान 1000/— रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी Stipend (दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये 1200/— रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी Stipend) दिया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सफल उम्मीदवार को प्रशिक्षण - पत्र दिया जाता है और उन्हें छः माह के लिये सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रवीणता/दक्षता प्राप्त करने के लिये रखा जाता है तथा इस अवधि के दौरान उन्हें 1500/—रुपये प्रतिमाह Stipend (दिव्यांग अभ्यर्थियों के 1800/—रुपये प्रतिमाह Stipend) दिया जाता है। वर्ष 2022-2023 में इस योजना के अन्तर्गत 383.87 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था जिसमें से मु0 382.97 लाख रुपये व्यय कर कुल 3325 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(5) अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें सामान्य जाति के लोगों द्वारा जाति आधार पर सताये जाने पर मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने/न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर 85,000/- रु0 से लेकर 8,25,000 रु0 तक अत्याचार के अनुसार राहत राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 224.04 लाख रु0 खर्च कर, 341 व्यक्तियों को राहत राशि प्रदान की गई।

(6) हि0 प्र0 अनुसूचित जाति/जन-जाति विकास निगम

अनुसूचित जाति/जन-जाति के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों से सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 35,000/-रु0 तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार, जिनकी वार्षिक आय 35000/- रु0 से कम हो, को स्वयं, रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से स्वयं रोजगार कार्यो को चलाने हेतु 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्ष 2022-23 में विभाग द्वारा निगम को 0.00 लाख रु0 की राशि अनुदान/निवेश/ऋण के रूप में जारी की गई।

(7) हि0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

अन्य पिछड़ा वर्गों से सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय 3,00,000/- रु0 तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय 3,00,000/- रु0 से कम हो, को 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्ष 2022-23 में निगम को विभाग द्वारा 484.00 लाख रुपये की राशि निर्गत की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 125.00 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया है।

(8) हि0 प्र0 अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम

इस निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय जैसे सिक्ख, इसाई, बौद्ध, जैन तथा मुस्लिम, जिनकी वार्षिक आय 98,000/-रु0 (ग्रामीण क्षेत्रों) तथा 1,20,000/-रु0 (शहरी क्षेत्रों) से कम हो, को बैंको के माध्यम से सस्ती ब्याज दरों पर अवधि ऋण/सीमान्त धन स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्ष 2022-23 में निगम को विभाग द्वारा 400.00 लाख रु0 की राशि निवेश/अनुदान सहायता के अन्तर्गत निर्गत की गई।

(9) हि0 प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग

अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। जिसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची जारी की है। वर्तमान में इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 51 जातियों को पिछड़ा वर्गों की सूची में शामिल किया गया है इस आयोग की सिफारिश पर सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 18 प्रतिशत और राजपत्रित वर्ग I और II में 12 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है।

17.2.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं :

(1) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गए उपरोक्त अधिनियम, जो कि अस्पृश्यता के आधार पर आचरण करने, अपमान करने सम्बन्धी मामलों में दण्ड विहित से सम्बन्धित है को राज्य में लागू किया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर धनराशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष अधिनियम के प्रचार हेतु प्रदेश में शिविरों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022-23 में इस अधिनियम के प्रचार हेतु 10.00 लाख रु० की राशि जागरूकता शिविरों पर व्यय की गई।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के शिक्षा स्तर में विकास तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छात्रों के छात्रावास निर्माण हेतु 60:40 के अनुपात में तथा छात्राओं के छात्रावास के निर्माण हेतु 90:10 के अनुपात में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(3) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

अनुसूचित जाति की छात्राओं के शिक्षा स्तर, विकास तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु 100 प्रतिशत तथा छात्रों के छात्रावास निर्माण हेतु 50:50 के अनुपात में धनराशि प्रदान की जाती है।

(4) डॉ० अम्बेदकर चिकित्सा सहायता योजना :

डॉ० अम्बेदकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु, जिनकी वार्षिक आय 1,00,000/-लाख रु० से कम है, को गुर्दे, हृदय, लीवर, कैंसर, मस्तिष्क, घुटने के ऑपरेशन तथा घातक रोगों के इलाज हेतु डॉ० अम्बेदकर चिकित्सा सहायता योजना आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत इलाज पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम 1,00,000/- लाख रु० की राशि स्वीकृत की जाती है।

(5) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना :-

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 6.00 लाख रुपए से कम हो, उन्हें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ग्रुप-ए तथा बी, स्टाफ सलैक्शन कमीशन, बैंक इन्शोरेंस कम्पनियों में ऑफिसर ग्रेड, प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि के लिए विश्वविद्यालयों, विख्यात संस्थानों तथा निजी क्षेत्रों में संचालित केन्द्रों के माध्यम से अनुशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से 5,000/- रु० बाहरी स्थानों तथा 2500/- रु० स्थानीय अभ्यर्थियों को मासिक छात्रवृत्ति की राशि सहायता प्रदान की जाती है।

(6) अल्प संख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनुशिक्षण एवं सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना :

अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अल्प संख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम हो तथा जिन्होंने पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हो, उन्हें केन्द्रीय/राज्य सरकार के ग्रुप-ए, बी, सी तथा डी सेवाओं तथा अन्य सम-कक्ष पदों के लिए रेलवे, बैंक इन्शोरेंस कम्पनियों में ऑफिसर ग्रेड प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य तकनीकी व व्यवसायिक कोर्सिज में प्रवेश पाने के लिए परीक्षाओं इत्यादि हेतु निःशुल्क अनुशिक्षण के माध्यम से दिये जाने का प्रावधान है। अनुशिक्षण के दौरान 2000/- रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। अनुशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु विश्वविद्यालयों, विख्यात संस्थानों तथा निजी क्षेत्रों में संचालित केन्द्रों को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

(7) प्रधान मन्त्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)

प्रधान मन्त्री आदर्श ग्राम योजना में हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2010-11 में सम्मिलित किया है तथा इस योजना के तहत प्रदेश के दो जिलों सोलन तथा सिरमौर के 225 गांवों (सोलन-100, सिरमौर-125) को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुना गया है। यह योजना उपायुक्त सिरमौर तथा सोलन के द्वारा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के माध्यम से संचालित की जा रही है। जिसके तहत कुल 231 गांवों को आदर्श गांव घोषित किया जा चुका है। इस योजना के तहत भारत सरकार से कुल 59 करोड़ 82 लाख 76 हजार की राशि प्राप्त हुई है। जिसमें से प्रत्येक चिन्हित गांव के लिए गैप-फिलिंग फण्डिंग हेतु 20.00 लाख रुपए की राशि प्रति गांव उपलब्ध करवाई गई है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 व 2019-20 में फेज-2 के अन्तर्गत प्रदेश में 450 गांवों को इस योजना में चयनित किया गया है, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा मु0 5860 करोड़ की राशि जिलों को जारी की जा चुकी है। प्रदेश के कुल 279 गांवों को ग्रामीण विकास योजना का अन्तिम रूप दे दिया गया है।

17.3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन

वृद्धजनों/ विधवाओं/एकल नारी/दिव्यांगजन/कुष्ठ रोग से मुक्त रोगियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग निम्न पेंशन श्रेणियों के अंतर्गत पेंशन प्रदान करता है:-

17.3.1 राज्य पेंशन योजनाएँ :

(1) **वृद्धावस्था पेंशन :-** ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 -69 वर्ष के पुरुषों को 1000/-, 60-64 वर्ष की महिलाओं को रु0 1000/-रु0 और 65-69 वर्ष की महिलाओं को रु0 1150/-रु0 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पेंशनरों को बिना किसी आय सीमा के रु0 1700/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 78122.18 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 78101.66 लाख रु0 व्यय कर 430085 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया।

(2) **दिव्यांग राहत भत्ता :-** विभाग द्वारा उन दिव्यांगजनों को जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत हो को 1150/- रु0 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग राहत भत्ता दिया जा रहा है तथा 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के 1700/- रु0 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है बशर्ते वे किसी सरकारी/गैर सरकारी/सेवा निगमों/बोर्डों इत्यादि में कार्यरत न हो तथा न ही कोई अन्य प्रकार की पेंशन/भत्ता प्राप्त कर रहे हों। 70 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को भी बिना किसी आय सीमा के 1700/- रु0 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 11302.08 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 11326.68 लाख रु0 व्यय कर 70061 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

(3) **विधवा पेंशन :-** ऐसी विधवा/परित्यक्ता/एकल नारियां जिनके परिवार की वार्षिक आय 50,000/- रु0 से अधिक न हो उन्हें विभाग द्वारा 1150/- रु0 प्रतिमाह की दर से यह पेंशन दी जा रही है। 70 वर्ष से अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/एकल महिलाओं को बिना किसी आय सीमा के 1700/- रु0 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 18250.53 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 18243.41 लाख रु0 व्यय कर 109954/परित्यक्ता/एकल महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

(4) **कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता -** प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को 1000/- रु0 प्रति माह की दर से पुनर्वास भत्ता दिया जा रहा है। 70 वर्ष से अधिक आयु के कुष्ठ रोगियों को भी बिना किसी आय सीमा के 1700/- रु0 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत

193.00 लाख रु० का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 151.71 लाख रु० खर्च कर 1483 कुष्ठ रोगियों को लाभान्वित किया गया।

(5) **ट्रान्सजैन्डर पेंशन योजना :-** प्रदेश में ट्रान्सजैन्डर को 1000/- रु० प्रति माह की दर से पुनर्वास भत्ता दिया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 20.57 लाख रु० का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 0.17 लाख रु० खर्च कर 10 ट्रान्सजैन्डर को लाभान्वित किया गया।

17.3.2 केन्द्रीय प्रायोजित पेंशन योजनाएँ

(1) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था :-** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के अंतर्गत उन वृद्धों को जिनकी आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष हो तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के सदस्य हो, को भारत सरकार द्वारा 200/- रु० प्रतिमाह की दर से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। रु० 1000/-, 1159/- और 1700/- की दर से पेंशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा रु० 800/-, 950/- और 1400/- प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 500/- रु० प्रतिमाह की दर से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही हैं 1700/- रु० की दर से पेंशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1200/- रु० प्रति पेंशनर का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 4146.00 लाख रु० का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 4122.84 लाख रु० खर्च कर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 104012 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया।

(2) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) :-** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत IGNWPS में 40 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को भारत सरकार द्वारा 300/- रु० प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। 1150/- रु०, 1700/- की दर से पेंशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 850/- रु०, 1400/- प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 925.000 लाख रु० का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 918.09 लाख रु० खर्च कर गरीबी रेखा से नीचे रह रही 25098 विधवाओं को लाभान्वित किया गया।

(3) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS):-** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत IGNDPS में 80% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन, जो गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के सदस्य हैं, को भारत सरकार द्वारा 300/- रु० प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन प्रदान की जाती है। 1700/- रु० की दर से पेंशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1400/- रु० प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 46.00 लाख रु० का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 45.93 लाख रु० खर्च कर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 80% से अधिक दिव्यांगता वाले 1270 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

17.4 दिव्यांगजन के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं :

17.4.1 राज्य संचालित योजनाएं

17.4.1.1 दिव्यांगजन हेतु एकीकृत योजना "असीम"

राज्य सरकार ने दिव्यांगजन के लिए 2017-18 में "असीम" नाम से एक विस्तृत एकीकृत योजना अधिसूचित की है जिस के मुख्य निम्न घटक हैं :-

(1) विकलांगता की रोकथाम, शीघ्र पहचान, जांच व दिव्यांगता पहचान पत्र

इस घटक का उद्देश्य लक्षित समूह को विकलांगता और निवारक उपायों के कारणों के बारे में संवेदनशील बनाना, विकलांगता का पता लगाने और ऐसे मामलों को निकटतम स्वास्थ्य संस्थान में भेजना ताकि विकलांगता को रोका जा सके और कम से कम किया जा सके। इस के अतिरिक्त पहचान किए गए व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारियों से जांच करवाना और उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना व विकलांग व्यक्तियों का एक सटीक डेटा उत्पन्न करना ताकि उनके लिए योजनाओं, नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सके। अब इस योजना के अन्तर्गत बनने वाले पहचान पत्र को भारत सरकार की योजना UDID द्वारा बदला गया है।

(2) जागरूकता अभियान

घटक का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना, दिव्यांग व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी का प्रसार करना व सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों को विकलांगों के अधिकारों के बारे में जिला व खण्ड स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित कर जागरूक करना।

(3) विकलांगता विषय बारे अनुसंधान

इस घटक के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों व गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से विकलांगता की रोकथाम व पहचान व उनके पुनर्वास तथा उन्हें सहायक उपकरण इत्यादि बारे अनुसंधान हेतु 2.00 लाख रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(4) दिव्यांग छात्र/छात्राओं को छात्रावृत्ति

दिव्यांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने व वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे दिव्यांग छात्रा, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो को बिना किसी आय सीमा के दिव्यांग छात्रावृत्ति निम्न अनुसार प्रदान की जाती है :-

कक्षा	दिवस छात्र	छात्रावास में रह रहे छात्र
पहली से पांचवीं तक	625 /—	1875 /—
छठी से आठवीं तक	750 /—	1875 /—
नवीं से दसवीं तक	950 /—	1875 /—
ग्यारहवीं से बारहवीं तक	1250 /—	2500 /—
डिप्लोमा कोर्स 10 जमा दो के बाद	1875 /—	3750 /—
बी०ए०/बी०एस०सी०/ बी०कॉम० इत्यादि	1875 /—	3750 /—
एल०एल०बी०/बी०एड०/एम०ए०/एम०ए०/एम०एस०ई०/एम०एड०/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स एम०ए० व एम०एस०सी० के बाद	2250 /—	3750 /—
बी०ई०/बी०टैक/एम०बी०बी०एस०	3750 /—	5000 /—

वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत मु० 160.00 लाख रु० का बजट प्रावधान रखा गया था तथा मु० 159.99 लाख रु० खर्च कर 1329 दिव्यांग छात्रों को लाभान्वित किया गया।

(5) दृष्टिहीन, व मूक बधिर बच्चों हेतु विशेष स्कूल योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य नेत्राहीन, मूक और श्रवणवाणी बाधित बच्चों के लिए सरकार द्वारा व गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान कर विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। दृष्टिहीन व मूकबधिर लड़कियों हेतु सुन्दरनगर में विभाग द्वारा तथा लड़कों हेतु हि0 प्र0 बाल कल्याण परिषद् द्वारा ढली में विशेष स्कूल संचालित किया जा रहा है जिनमें निःशुल्क शिक्षा व आवास सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। इन संस्थानों में 10+2 कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में विशेष बच्चों(लड़कियों) के स्कूल/गृह सुन्दरनगर में कुल बजट 180.06 लाख रु0 की राशि तथा 179.69 लाख रु0 की राशि व्यय की गई और 142 बच्चों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विशेष बच्चों के स्कूल ढली व अस्थि दोष पीड़ितों के विद्यालय दाढ़ी हेतु इस विभाग द्वारा 84.80 लाख रु0 की राशि प्रदान की गई। वर्तमान में ढली में 133 बच्चे (लड़के), दाढ़ी में 4 बच्चे (लड़के), सुन्दरनगर में 147 (लड़कियां), शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

(6) मानसिक रूप से अविकसित बच्चों/व्यस्कों के पुनर्वास हेतु योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से विकलांग बच्चों व व्यस्कों के लिए सरकार व गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अनुदान सहायता प्रदान कर संस्थान स्थापित करना है जिससे उन्हें अपनी क्षमता को पूर्ण विकसित करने में मदद मिल सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 05 गैर सरकारी संगठनों को 89,85,657/-रु0 की राशि इन संस्थानों के संचालन हेतु प्रदान की गई।

(7) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे गैर सरकारी संगठनों को जो सोसाईटी एक्ट व विकलांगजन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो, को विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक संस्थानों, मानव संसाधन को बढ़ाने, विकलांग व्यक्तियों के लिए भवन के निर्माण और रख-रखाव, फर्नीचर, मशीनरी और उपकरणों के प्रावधान, होस्टल सुविधा के लिए संस्थान में शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने के लिए और विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करना के लिए 90 प्रतिशत तक की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(8) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राज्य पुरस्कार योजना

इस घटक के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा अधिकतम दिव्यांगजनों को रोजगार देने व दिव्यांगता के बावजूद उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों सहित पांच श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पुरस्कार देने का प्रावधान है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन दिव्यांगजनों को 30,000/- रु0 के पुरस्कार सहित निजी उद्यमी को 30,000/- रु0 का नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है। इन पुरस्कारों के चयन हेतु प्रशासनिक सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।

(9) विवाह अनुदान योजना

इस घटक के अन्तर्गत स्वेच्छा से दिव्यांग लड़के अथवा लड़की से विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 25000/-रु0 (दिव्यांगता प्रतिशतता 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत होने पर) व 50,000 रु0 (दिव्यांगता प्रतिशतता 70 प्रतिशत व अधिक होने पर) की राशि दी जाती है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 73.25 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था, जिसमें से 61.575 लाख रु0 की राशि व्यय करके 202 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

(10) विकलांगता पुनर्वास केन्द्र

इस घटक के अन्तर्गत जिला रैडक्रास सोसाईटी, रोगी कल्याण समिति, व सोसाईटी एक्ट के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कैम्प आयोजित कर दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वेक्षण, पहचान व जागरूकता पैदा कर विकलांगता की शीघ्र निवारण, उन्हें सहायक उपकरण, बाधा रहित वातावरण का निर्माण

व पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा नियोजन हेतु सहायक और अनुपूरक सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य हेतु जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में हमीरपुर व कांगड़ा जिले में

विकलांगता पुनर्वास केन्द्र संचालित है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 12.00 लाख रु० का बजट प्रावधान रखा गया था, जिसमें से 11.47 लाख रु० की राशि व्यय करके 120 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

17.4.1.4 "हाफ वे होम योजना"

हिमाचल प्रदेश में मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं और जिनकी मानसिक रोग चिकित्सालय/संस्थान से छुट्टी हो चुकी है तथा जो अपने परिवारजनों के साथ नहीं रहना चाहते हैं या परिवारजन उन्हें घर नहीं ले जाना चाहते हैं, उनके लिए पुनर्वास हेतु "हाफ वे होम योजना" के तहत राज्य सरकार से प्राप्त 90:10 की दर से सहायता-अनुदान की राशि द्वारा "हाफ वे होम योजना" का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

वर्तमान में दो "हाफ वे होम योजना" एक कुनिहार, जिला सोलन में महिलाओं के लिए व दूसरा नागचला, मण्डी में पुरुषों के लिए चलाए जा रहे हैं। इनमें मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, उन्हें निम्न प्रकार से पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:-

सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

भोजन व ठहरने की पूर्ण सुविधा प्रदान करना।

बाधा रहित वातावरण का निर्माण करना

सफाई व स्वच्छता का वातावरण सुनिश्चित करना।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करना

वर्ष 2022-23 में Festival Grant के रूप में 7.00 लाख रु० राशि बजट प्रावधान रखा गया था जिसमें 6.94 व्यय करके 709 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

17.4.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं:-

(1) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) :

ऐसे दिव्यांग, व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग जन यू0डी0आई0डी0 कार्ड हेतु आवेदन लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से या स्वयं <http://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application> वेबसाइट पर आनलाईन किया जा सकता है, जिसके आधार पर विकलांग व्यक्ति राज्य/भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का लाभ उठा सकें। वर्ष 2022-23 तक कुल 10319 विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र जारी किये गये।

(2) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS)

दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा उन्हें पुनर्वासित करने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को विभिन्न योजनायें चलाने के लिए सभाएं पंजीकरण अधिनियम 1860 या राज्य सरकार के

समतुल्य अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था व पंजीकृत चैरीटेबल ट्रस्ट तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण योजना के संचालन हेतु अनुदान प्रस्ताव की 100 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है।

(3) जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (DDRC)

दिव्यांग व्यक्तियों में जागरूकता पैदा कर पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास व्यवसायियों के दिशा-निर्देश हेतु जिला स्तर पर अवसररचना के सृजन एवं क्षमता निर्माण करना। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा डी.डी.आर.सी को वित्तीय ढांचागत, प्रशासन और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न सेवायें प्रदान की जा रही हैं:-

- . दिव्यांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण व पहचान करना।
- . दिव्यांगता से बचाव करने, शीघ्र पहचान करने हेतु जागरूकता का सृजन
- . दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न रियायतें व सुविधाएं प्रदान करना
- . बाधा रहित वातावरण का निर्माण
- . दिव्यांग व्यक्तियों की व्यवसायिक प्रशिक्षण के संवर्धन और नियोजन हेतु सहायक और अनुपूरक सेवाएं मुहैया करना। संस्थान द्वारा दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग व आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- . वर्तमान में प्रदेश में दो (DDRC), जिला बिलासपुर कार्यान्वित ऐंजैसी चेतना संस्था बिलासपुर (हि0प्र0) व जिला कुल्लू रैड क्रोस सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा है।

(4) कृत्रिम अंग लगाने हेतु योजना (ADIP) :

भारत सरकार द्वारा डी.आर.डी.ए./रैडक्रास सोसाइटी व स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाई जा रही एडिप योजना का प्रदेश में कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे विकलांग व्यक्ति, जिनकी मासिक आय 22,500/- रु0 तक हो, को कृत्रिम अंग निःशुल्क तथा जिनकी मासिक आय 22501/- रु0 से 30,000/- रु0 तक हो, को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। 30000/- रुपये से अधिक मासिक आय वाले दिव्यांग व्यक्तियों को पूरी कीमत पर सहायक उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(6) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपड़ा)

दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न क्रियाकलापों विशेषकर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक भवनों राज्य सरकार सचिवालयों, राज्य दिव्यांग आयुक्त के कार्यालय आदि में बाधा मुक्त वातावरण सृजित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित संगठनों /ऐंजेंसियों जैसे -राज्य सरकार/राज्य विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्ता प्राप्त संगठन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय संस्थान/सी आर सी/डी डी आर सी इत्यादि व सरकार द्वारा स्थापित संगठन/संस्थान/मान्यता प्राप्त खेल कूद निकाय व परिसंघ को वित्तीय सहायता अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्ष 2022-23 तक योजना के अन्तर्गत 4,59,37,119/- रुपये की राशि 12 विभागों को बाधा रहित वातावरण के निर्माण हेतु प्रदान की गई।

17.5 अन्य विभागीय योजनाएं.

17.5.1 विभाग से सम्बद्ध स्वयं सेवी संस्थायें व उनके द्वारा संचालित कार्यक्रम :

(1) हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् शिमला द्वारा संचालित कार्यक्रम:

- (i) वृद्ध आश्रम दाड़ी (धर्मशाला)
- (ii) परिषद् का कार्यालय

- (iii) दिव्यांगजनों के लिए ढल्ली में स्थित संस्थान
- (iv) अस्थि दोष वाले बच्चों के लिये दाड़ी (धर्मशाला) में एक संस्थान / गृह
- (2) **सिस्टर ऑफ चैरिटी ऊना :**
 - (i) मानसिक रूप से अविकसित 6-10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये प्रेम आश्रम ऊना
- (3) **हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, शिमला-2 :**
 - (i) वृद्धाश्रम बसन्तपुर
- (4) **सीनियर सिटिजन वेलफेयर सोसाईटी, शोधी (शिमला)**
 - (i) वृद्धजनों हेतु डे केयर सेंटर शोधी
- (5) **बल्ह वैली कल्याण सभा भंगरोटू, जिला मण्डी :**
 - (i) वृद्धाश्रम भंगरोटू
- (6) **हिमाचल प्रदेश सीनियर सिटिजन फोर्म शिमला-1 :**
 - (i) वृद्धों के लिए डे-केयर सेंटर, शिमला, नजदीक कार पार्किंग, हि0 प्र0 उच्च न्यायालय
- (7) **हैल्पेज इंडिया :**
 - (i) वृद्धों के लिये हैल्पलाईन एवं काउंसलिंग सेंटर, न्यू शिमला
- (8) **एल्डर एण्ड सीनियर सिटिजन काउंसिल, मण्डी:-**
 - (i) वृद्धजनों हेतु डेकेयर सेंटर मण्डी:-
- (9) **कचेन दुंग्याल मैमोरियल ओल्ड एज एण्ड हैडीकैपड वेलफेयर सोसाईटी, कीह (स्पिति) :-**
 - (i) वृद्धों के लिये वृद्धाश्रम गांव कीह, डा0 कीह, गोंपा (स्पिति)
- (10) **आदर्श शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति :**
 - (i) वृद्धों के लिये वृद्धाश्रम तथा डे केयर सेंटर, कलाथ, (मनाली)
 - (ii) मानसिक रूप से अविकसित व्यस्क महिलाओं हेतु आश्रम, कलाथ (मनाली)
- (11) **आस्था वेलफेयर सोसाईटी, नाहन, जिला सिरमौर :**
 - (i) मानसिक रूप से अविकसित वयस्क पुरुषों के लिये आश्रम
 - (ii) वृद्धों के लिये डे केयर सेंटर, नाहन
- (12) **रैड क्रॉस सोसाईटी, कुल्लू हि0 प्र0 वृद्धों के लिये :**
 - (i) डे केयर सेंटर कुल्लू
 - (ii) वृद्धों के लिये डे केयर सेंटर निरमण्ड
 - (iii) वृद्धों के लिये डे केयर सेंटर बंजार, भूतर, मनाली, आनी
- (13) **स्वर्ण एजुकेशनल, वेलफेयर अवैय (SEWA) ट्रस्ट, शिमला- :**
 - (i) वृद्ध महिलाओं के लिये डे केयर सेंटर (सोलन)
- (14) **सीनियर सिटिजन एसोसिएशन, सायरी (सोलन):-**
 - (i) वृद्धजनों हेतु डेकेयर सेंटर, सायरी।
- (15) **मानव सेवा ट्रस्ट, सुन्दरनगर(मण्डी):-**
 - (i) वृद्धजनों हेतु डेकेयर सेंटर, सुन्दरनगर।

- (16) सीनियर सिटिजन फॉर्म, आलमपुर(कांगड़ा):-
 (i) वृद्धजनों हेतु डे केयर सेंटर, आलमपुर।
- (17) सीनियर सिटिजन सोसाईटी, चम्बा:-
 (i) वृद्धजनों हेतु डेकेयर सेंटर चम्बा।
- (18) आशा किरण विकलांगजन शिक्षा संस्थान, घुमारवी (बिलासपुर):-
 (i) मानसिक रूप से अविकसित बच्चों हेतु आश्रम/संस्थान, घुमारवी।
- (19) नेशनल एसोसिएशन बच्चों हेतु संस्थान, कुल्लू।
 (i) दृष्टिबाधित बच्चों हेतु संस्थान, कुल्लू।
- (20) उड़ान (Parent and Guardian Society of Special Children), Shimla
 (i) (मानसिक रूप से अविकसित बच्चों हेतु आश्रम, न्यू शिमला।)

17.6 अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजना

17.6.1 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए विभिन्न क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, कौशल विकास, पेयजल इत्यादि हेतु एक नया कार्यक्रम “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” आरम्भ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल एवं स्पिति के स्पिति ब्लाक को इस कार्यक्रम हेतु चिन्हित किया गया है।

इस योजना के तहत भारत सरकार राज्य सरकार को 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास के तहत मु0 3183.54 लाख रु0 का प्रस्ताव अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। जिसमें से अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है तथा मु0 574.80 रु0 की प्रथम किस्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रदान की गई है। तदनुसार, राज्य सरकार ने भी मु0 63.87 लाख रु0 की अपनी राज्य हिस्सेदारी जारी की है।

17.7 विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय/राज्य अधिनियम :

विभागीय कार्यक्रमों से सम्बन्धित निम्नलिखित अधिनियम व नियम जो विभाग के द्वारा स्वयं या अन्य विभागों की मार्फत कार्यान्वित किये जा रहे हैं :-

1. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
2. अनु0 जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989(संशोधित अधिनियम ,2018)
3. हि0 प्र0 भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1979
4. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999
5. हि0 प्र0 माता-पिता एवं आश्रित भरण पोषण अधिनियम, 2001
6. परिवीक्षा अधिनियम, 1958
7. हि0 प्र0 गुड कन्डक्ट प्रिजनरज प्रोबेशन रिलीफ ऐक्ट, 1968
8. पब्लिक सर्विस गारंटी ऐक्ट, 2011
9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
10. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

17.8 प्रशासनिक सुधार हेतु उठाए गए कदम

प्रशासन में कार्यकुशलता लाने के उद्देश्य से, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की अध्यक्षता में त्रैमासिक बैठक तथा निदेशक, अनु० जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हि० प्र० की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है। इन बैठकों में विभाग से सम्बन्धित प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा की जाती है। कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए निदेशालय स्तर पर जिला कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। सूचनाओं के शीघ्र आदान-प्रदान के लिए निदेशालय तथा जिला कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों में फैक्स मशीनें तथा ब्रॉडबैंड की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है। निदेशालय स्तर पर कार्यभार कम करने तथा कार्यों के शीघ्र निष्पादन के उद्देश्य से वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।
